

**संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी  
सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़**

ब्लॉक-1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002  
फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स 2221641, ईमेल- cgayush@gmail.com

क्रमांक STU-47/15/2026/UG Ad.26-27      नवा रायपुर, दिनांक 09-09-2026

-:: सूचना ::-

शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, पारसनगर, नगपुरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) एवं रायगढ़ कालेज ऑफ नेचरोपैथी, कोतरापाली, रायगढ़ (छ.ग.) के बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम तथा रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुंड, रायपुर (छ.ग.) के बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फीस निर्धारित नहीं की गई है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, पारसनगर, नगपुरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित फीस रु. 65,800/- (पैंसठ हजार आठ सौ रुपये मात्र) अभ्यर्थियों से लिया जाकर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, पारसनगर, नगपुरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) एवं रायगढ़ कालेज ऑफ नेचरोपैथी, कोतरापाली, रायगढ़ (छ.ग.) के बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुंड, रायपुर (छ.ग.) के बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित फीस रु. 70,000/- (सत्तर हजार रुपये मात्र) अभ्यर्थियों से लिया जाकर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुंड, रायपुर (छ.ग.) के बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, पारसनगर, नगपुरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) एवं रायगढ़ कालेज ऑफ नेचरोपैथी, कोतरापाली, रायगढ़ (छ.ग.) के बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम तथा रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुंड, रायपुर (छ.ग.) के बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फीस निर्धारित किये जाने पर अंतर की राशि छात्र/छात्राओं के द्वारा महाविद्यालय में जमा करना होगा।

Digitally signed by  
RAJENDRA KUMAR KATARA  
Date: 09-09-2026  
16:40:48

संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,  
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़